अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 347/26 (सीआईएस 347/26)
बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीमती नीलम कुमारी बोरडिया व अन्य बनाम जविप्रा,जयपुर

प्रत्यर्थी अपील सं. 347 / 2026
दिनांक 11.08.2026

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शीशराम राव उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा उपस्थित।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 83(8)(A) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हस्तगत अपील इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया / जवाब अपील प्रस्तुत नहीं किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.04.2026 को अपीलार्थी को निम्न प्रकार नोटिस / विधिक नोटिस जारी किया गया।

आपको जरिये विधिक नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के महावीर नगर स्थित भूखण्ड सं. 446, क्षेत्र0 90 बाई 40 फीट में सैटबेक नियमों का उल्लंघन कर बी+जी+ 03 मंजिल की छत डालकर प्रथम दृष्ट्या व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण किये जाने पर अवैध निर्माण के संबंध में दिनांक 21.12.2024 को जविप्रा अधिनियम के तहत धारा 32, 33 के नोटिस मौके पर श्री अनिल बोरडिया को जारी किये गये। उक्त जारी नोटिसों के संबंध में आप द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन शाखा की तकनीकी परीक्षणोपरान्त प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके परं जविप्रा से जारी साईट प्लान में दर्शित सैटबेक एवं अधिकतम ऊंचाई ग्राउण्ड + 01 ही अनुमत है। मौके पर सैटबेक एवं बेसमेन्ट ग्राउण्ड + 03 फ्लोर का निर्माण किया गया है। साईड सेंटबेक में 3.5 फीट की बालकोनी है। जो जविप्रा बाईलॉज के मुताबिक नही है। बेसमेन्ट + ग्राउण्ड व्यावसायिक प्रतीत होता है। भूखण्डधारी द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन और मनन किया गया।

1. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस क्रमांक डी 83 दिनांक 24.04.2026 के अंतर्गत धारा 32 व 33 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 जारी किया था।
2. अपीलार्थी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया / इस अधिकरण के समक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 83(8)(A) के तहत चुनौती दी गई।
3. इस अधिकरण द्वारा अपील का दिनांक 03.06.2025 को निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब / स्पष्टीकरण / अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विस्तृत रूप से अपना निष्कर्ष पारित करें तथा स्वयं द्वारा पारित निष्कर्ष से अपीलार्थी को सूचित करें।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब / स्पष्टीकरण / अभ्यावेदन पर निष्कर्ष निकालते हुए केवल मात्र यह निष्कर्ष पारित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब परीक्षण के उपरांत असंतोषप्रद पाया गया।

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 347/26 (सीआईएस 347/26)
[illegible] बनाम जविप्रा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पूर्णतया पालना नहीं की है।

6.जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना जब तक नहीं की जाती है। तब तक हस्तगत अपील पर विचार किया जाना संभव नही है।

7.जयपुर विकास प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि स्वयं द्वारा पारित निष्कर्ष में कम से कम यह स्पष्ट करें कि जो तर्क/आधार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उन तर्को से जयपुर विकास प्राधिकरण किस कारण असहमत रहा। असहमति के उन कारणों का उल्लेख किया जाना जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए आवश्यक है। ताकि उन कारणों पर यह अधिकरण अपना न्यायिक विवेक का उपयोग कर निर्णय तक पहुंचा जा सके। तथा असहमति के कारणों पर निष्कर्ष निकाला जा सके।

8.उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अधिकरण हस्तगत अपील को पुनः जयपुर विकास प्राधिकरण के पास विस्तृत निष्कर्ष निकाले जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय संगत समझता है। तब तक इस अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश प्रभावी रहेगा।

9.यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आज पारित आदेश इस अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 03.06.2025 के अध्यधीन रहेगा।

हस्तगत अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया।

पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति पालनार्थ सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाई जाए।

आदेश सुनाया गया।

दिनांकः– 11.08.2026